भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसानकल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3151
08 अगस्त,2023 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों का लाभकारी मूल्य
3151. श्री सुखबीर सिंह बादल:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में किसान अपनी फसलें बेचने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है जो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार इनपुट लागत और उत्पादन मूल्य का 50 प्रतिशत है, जैसा कि सरकार ने वादा किया था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने किसानों की इस आशंका को दूर कर दिया है कि सरकार का सीएसीपी का मॉडल तंत्र दोषपूर्ण नहीं है जो एमएसपी निर्धारित करने के लिए इनपुट की लागत की गणना करता है;
(घ) क्या सरकार के पास इस मामले में एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है जो गणनाओं का ऑडिट कर सके और उस पर रिपोर्ट बना सके और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार देश में किसानों की हालत सुधारने के लिए राहत पैकेज देने की योजना बना रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ) सरकार उच्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों के आधार पर किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी महत्वपूर्ण कारकों जैसे समग्र मांग-आपूर्ति की स्थितियाँ, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के अलावा शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे पर विचार करता है। उत्पादन लागत एमएसपी के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है और इसका अनुमान विशेषज्ञ समितियों द्वारा समय-समय पर अनुशंसित कार्यप्रणाली पर आधारित है। सीएसीपी भुगतान की गई वास्तविक लागतों और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य तथा समग्र आदान मूल्य सूचकांक (सीआईपीआई) के आधार पर आगामी विपणन मौसम के लिए लागत का आकलन करता है। सीआईपीआई मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, उर्वरक और खाद, बीज, कीटनाशक तथा सिंचाई जैसे प्रमुख आदानों के नवीनतम मूल्य पर आधारित होता है।

2004 में प्रो.एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि "एमएसपी को भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।" इस सिफारिश को प्रभाव में लाने के लिए सरकार ने 2018-19 के अपने केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार,

वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ निर्धारित की गई है।

सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और देश भर में कृषि के समर्थन के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि के विभिन्न पहलुओं पर समाधान करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का कार्यान्वयन किया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) पीएम-किसान के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए प्रतिवर्ष तीन समान किश्तों में 6000/- रुपये की अनुपूरक आय का अंतरण।
(ii) उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित करते हुए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि।
(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल बीमा।
(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच।
(v) 100,000 करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर विशेष बल।
(vi) एफसीआई संचालनों के अतिरिक्त पीएम-आशा के तहत नई खरीद नीति।
(vii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि फसलों के अतिरिक्त डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है।
(viii) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और विकास।
(ix) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है।
(x) कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिसमें भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।
(xi) मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज छूट योजना, कृषि-वानिकी, पुनर्गठित बांस मिशन, नई पीढ़ी के वाटरशेड दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन इत्यादि के तहत मिलने वाले लाभ।
(xii) कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर बल देना।
(xiii) आदान लागत को कम करने के लिए किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति।

*****